न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 02/2015 दायरा दिनांक : 06.02.2015

उनवान

कालू लाल पुत्र मांगीलाल, जाति माली, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– दुर्गालाल पुत्र नन्दा, जाति माली, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– रामगोपाल पुत्र मांगीलाल, जाति माली, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री इन्द्रलाल गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 04.02.2021**

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी निर्णय दिनांक 13.12.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने एक अपील संख्या 144/2013 न्यायालय हाजा में पेश की थी जिसमें रेस्पोडेंट की ओर से श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक उपस्थित हुए थे । न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई करने पर दिनांक 13.12.2013 को विवादित आराजी के सम्बन्ध में मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश हुए थे । उक्त आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर में उक्त प्रकरण में उपस्थित होने के दिनांक तक प्रभावी था ।. उक्त अपील एवं वाद में विवादित आराजी ग्राम सुमर तहसील खानपुर की खसरा नम्बर 998 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा आराजी खसरा नम्बर 1086 की 8 बीघा 1 बिस्वा है जिसके सम्बन्ध में

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निषेधाज्ञा दिनांक 13.12.2013 को जारी की गई थी जिसकी सूचना रेस्पोडेंट को तथा उसके अभिभाषक को हो गई थी तथा निर्णय दिनांक 31.01.2014 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली उक्त दिनांक 31.01.2014 को नहीं प्राप्त हुई उक्त पत्रावली की सूचना न्यायालय खानपुर में आने की अभी तक अपीलांट को नहीं हुई है । अप्रार्थीगण की ओर से श्री पूरी लाल राठौर दिनांक 13.12.2013 को उपस्थित हुए थे । निषेधाज्ञा का ज्ञान दोनों अप्रार्थीगणों को था इसके बावजूद न्यायालय के आदेशों की परवाह नहीं कर अप्रार्थी दुर्गालाल ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 998 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा श्रीमती गीता बाई पत्नी कन्हैयालाल धाकड, निवासी सुमर तहसील खानपुर को बेच दी तथा विक्रय पत्र निष्पादित कर दिनांक 21.05.2014 को बेचान पत्र का पंजीयन भी उपपंजीयन कार्यालय खानुपर में करा दिया । अप्रार्थी दुर्गालाल ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2013 की अवहेलना की है । मूल वाद की पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय में अभी तक पक्षकार उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः निषेधाज्ञा दिनांक 13.12.2013 अभी तक प्रभावी है । दिनांक 13.12.2013 तक अप्रार्थी रामगोपाल ने खसरा नम्बर 998 में जो निर्माण कार्य चालू कर रखा था उक्त मकान की दीवारे लगभग 6 फुट ऊंची बन गई थी । परन्तु अप्रार्थी रामगोपाल ने न्यायालय के आदश निषेधाज्ञा की परवाह नहीं करके दिनांक 14.12.2013 को निर्माण कार्य शुरू कर दिया । प्रार्थी ने मना किया तो नहीं माना उसके बाद भी निर्माण कार्य चालू कर रखा है । अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 5.06.2012 को भी निर्माण कार्य न करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी परन्तु अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 13.12.2013 की अवहेलना करते हुए मकान का निर्माण कर लिया जारे दण्डनीय अपराध है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2013 की अवहेंलना करने के अपराध में सजा देने की कुपा करे तथा अप्रार्थी का मकान व जमीन जब्त करने का आदेश पारित करने कर श्रम करें ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 13.12.2013 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मेगा हाइवे में अवाप्त की गई भूमि को अलग करने के पश्चात उभयपक्ष को सुनकर एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष के अधिवक्तागण को न्यायहित में इस बाबत पाबन्द किया जाना उचित है कि उभयपक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगें । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट नये सिरे से चाहे तो स्थगन आदेश की प्रार्थना कर सकता है । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.01.2014 को उपस्थित होवें । जब स्थगन आदेश था उसी दौराने दिनांक 21.05.2014 वादग्रस्त आराजी का बेचान अप्रार्थी ने कर दिया । अप्रार्थी ने उस पर मकान निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया । तहसीलदार की रिर्पोट में मकान बनना बताया गया है । अतः अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना की है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । इस न्यायालय द्वारा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2013 अपास्त किया गया है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 31.12.2013 को रिमाण्ड करते हुए उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति दिनांक 31.01.2014 तक उपस्थित होने तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने बाबत पाबन्द किया गया है तथा यह भी आदेश था कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट नये सिरे से चाहे तो स्थगन आदेश की प्रार्थना कर सकता है तथा उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर (राज.)

में दिनांक 31.01.2014 तक उपस्थित होने का आदेश भी दिया था । अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त नहीं होने का कथन किया है इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है । न्यायालय हाजा का यथास्थिति का आदेश भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने तक ही था । यदि इसके बाद कोई बेचान इत्यादि होता है तो यह न्यायालय आदेश की अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है । जहां तक निर्माण का प्रश्न है तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2020 में निर्माण कार्य करने बाबत कोई रिपोर्ट नहीं है । ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी कालू लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 39 नियम 2 ए एवं सपठित धारा 151 सी पी सी सारहीन होने से खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा